

## FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.ए.

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... रतनलाल ..... बनाम ..... श्री घारी .....

किरम मुकदमा ..... नम्बर ..... 42/2023 ..... वर्ष .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस तारीख में
18/03/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अभिलेख पर ली जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दाया डिक्री फरमाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम "रामरतन पुत्र औमकारमल" दर्ज हैं जबकि वादी का नाम "रामरतन पुत्र औमकारमल" की जगह "रतनलाल पुत्र औमकारमल" सही होना बताया हैं उक्त की पुष्टि तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की जाती हैं कि:-</p> <p style="text-align: center;"><b><u>आदेश</u></b></p> <p>तन ग्राम मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 282 रकबा 0.64 में वादी का गलत दर्ज नाम "रामरतन पुत्र औमकारमल" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "रतनलाल पुत्र औमकारमल" दुरुस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. रतनलाल पुत्र औमकारमल जाति कुम्हार निवासी मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल नि० सिहोड तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.  
-वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं. 42 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री सूरजभान पूनियां एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन ग्राम मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 282 रकबा 0.64 में वादी का गलत दर्ज नाम "रामरतन पुत्र औमकारमल" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "रतनलाल पुत्र औमकारमल" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।

  
दस्तखत.....  
ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।